अनंतलाल घोष

बनाम

पश्चिम बंगाल राज्य

7 सितंबर, 2005

[एच. के. सेमा और तरुण चटर्जी, न्यायाधिपतिगण]

दंड संहिता, 1860 - धाराये 302 और 201 सपिठत 34 - हत्या - अभियोजन के लिए - परिस्थितिजन्य साक्ष्य और अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य के आधार पर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दोषसिद्धि - अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया: दोषसिद्वि उचित है क्योंकि मामले की परिस्थितियां लगातार अभियुक्त का अपराध और उसकी बेगुनाही के साथ असंगत होने की ओर इशारा करती है- परिस्थितियों की शृंखला पूरी हो गई है।

आपराधिक अन्वीक्षा

परिस्थितिजन साक्ष्य - की प्रशंसा - अभिनिर्धारितः दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए ऐसे साक्ष्य पूर्ण होने चाहिये और अभियुक्त के अपराध के अलावा किसी भी अन्य परिकल्पना के लिए अक्षम होने चाहिए। अपीलार्थी - अभियुक्त को एक व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिये भादंसं की धारा 302/210/34 के तहत अधीनस्था अदालतों द्वारा दोषी ठहराया गया था दोषसिद्वि परिस्थितिजन्य साक्ष्य और पीडब्लू 1,2 ओर 3 के साख्य केआधार पर की गड्र थी। जिन परिस्थितियों में देखा गया वह यह थी कि मृतक ने घटना की तारीख से पहले अपीलार्थी के साथ एक रात बिताई थी, पुलिस के आने से पहले शव का जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कर दिया गया था, मृतक के शरीर पर चोटों की पुष्टि की गई जैसा कि एफआईआर में उल्लेख किया गया है और जैसा कि पीडब्लू 1 द्वारा बताया गया है और पीडब्लू 3 और 4 द्वारा इसकी पुष्टि की गई है और गवाहों को जगह छोड़ने की धमकी दी गई थी। इसलिये वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है।

न्यायालय ने अपील खारिज करते ह्ये

अभिनिर्धारित किया: 1. दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य पूर्ण होने चाहिये और अभियुक्त के अपराध को छोडकर किसी भी अन्य परिकल्पना की व्याख्या करने में असमर्थ होने चाहिए और ऐसे साक्ष्य अभियुक्त के अपराध के अनुरूप नहीं होने चाहिए, बल्कि उसकी निर्दोषता के साथ असंगत होने चाहिये। [114-जी]

2. अभियोजन पक्ष द्वारा संचयी रूप से ली गई अन्य आपित्तजनक सामग्री के साथ पीडब्लू 2, 3 ओर 4 की गवाही पर भरोसा किया गया, वे लगातार आरोपी के अपराध और उसकी बेगुनाही के बाबत असंगति की ओर इशारा करेगी। अभियोजन पक्ष सभी उचित संदेहों से परे उन परिस्थितियों की श्रृंखला स्थापित करने में सक्षम रहा है जो लगातार अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करती है। [115-एच, 116-ए]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : आपराधिक अपील संख्या 293/2004

आपराधिक आपील संख्या 151/1993 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 20.3.2003 से।

वी. रामसुब्रमण्यन, अपीलार्थी के लिए

तारा चंद्र शर्मा, प्रतिवादी के लिए

न्यायालय का निर्णय सेमा, न्यायाधिपति द्वारा दिया गया था-

अपीलकर्ता और 7 अन्य आरोपियो पर धारा 302 और 201 सपिठत 34 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया । विचारण न्यायालय द्वारा छह आरोपी बरी कर दिये गये थे। अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 302 और 201 सपिठत धारा 34 आईपीसी के अंतर्गत दोषी ठहराया गया था और धारा 302 आईपीसी के तहत आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 201/34 के अंतर्गत भी दोषी ठहराया गया था और पांच साल के कठोर कारावास की सजा और रूपये 2,000/ का जुर्माना लगाया गया था, व्यतिक्रम में अतिरिक्त 6 महीने का कारावास की सजा । दूसरे अभियुक्त को भी आईपीसी की

धारा 201 सपठित 34 के अंतर्गत दोषी ठहराया गया था और चार साल की सश्रम कारावास और रूपये 1,000/- जुर्माने की सजा दी गई, व्यतिक्रम होने पर अतिरिक्त 3 महीने का कठोर कारावास। ऐता प्रतीत होता है कि वह पहले ही अपनेखिलाफ दर्ज सजा और दोषसिद्वि से गुजर चुका है।

विशेष अनुमित से यह अपील अभियुक्त अनंतलाल घोष द्वारा दायर की गई है, जिसे आईपीसी की धारा 302/201/34 के अंतर्गत दोषी ठहराया गया था।

स्वीक्रत रूप से, घटना का कोई चयमदीद गवाह नहीं है। दोषसिद्वि पिरिस्थितिजन्य साक्ष्यो पर आधारित है। अन्वीक्षा न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनो ने पी. डब्ल्यू. 1, पी. डब्ल्यू. 2 और PW.3 के साक्ष्य के आधार पर अपीलकर्ता के खिलाफ दोषसिद्वि दर्ज की। अब यह कानून का स्थापित सिद्वांत है कि दोषसिद्वि को कायम रखने के लिये पिरिस्थितिजन्य साक्ष्य पूर्ण होने चाहिये और अभियुक्त के अपराध को छोडकर किसी भी अन्य परिकल्पना की व्याख्या करने में असमर्थ होने चाहिये और ऐसे साक्ष्यन केवल अभियुक्त के अपराध के अनुरूप होने चाहिये बल्क उसकी बेग्नाही के साथ असंगत होने चाहिये।

उच्च न्यायालय द्वारा साक्ष्यो की पुन: समीक्षा करते हुये निम्नलिखित परिस्थितियो को अपीलार्थी के खिलाफ पूर्णरूप से स्थापित पाया है-

- यह तथ्य था कि मृतक लीलाबती पर कुछ चोटों के निशान थे जो पीडब्ल्. 1 के साक्ष्य में बताए गए हैं और एफ. आई. आर. (प्रदर्श 1) में उल्लिखित हैं, जो पीडब्ल्. 3 और पीडब्ल्. 4 के साक्ष्य से प्ष्ट होते है।
- 2. इस तथ्य के संबंध में पीडब्ल्यू 2, 3 और 4 की साक्ष्य की उनको जगह छोड़ने की धमकी दी गई और लीलाबती के शव को जल्दबाजी में दाह संस्कार के लिए ले जाया गया।
- 3. यह कि पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी गई थी ओर पुलिस शव को नहीं देख सकी।
- 4. पीडब्लू 8 को अपीलकर्ता की माता ने पीडब्लू 1 और उसके माता पिता को यह सूचित करने के लिये भेता था कि लीलावती को दस्त हो गये है और शव को उनके आने तक रखा गया था, यह स्थापित नहीं करता है कि लीलाबती की मृत्यु डायरिया से हुई थी।
- 5. पी. डब्ल्यू. 2 ने अपने साक्ष्य में कहा कि उसे अपीलार्थी से पता चला कि अपीलार्थी और लीलाबती के बीच झगडा हुआ था और उसकी कमर पर एक रस्सी कृष्णचुरा पेड के नीचे पाई गई थी । जिरह में पीडब्लू 2 की इस गवाही को झूंठलाया नहीं जा सका।
- 6. कि पीडब्लू. 2 के बयान की पीडब्लू 3 और 4 के बयानों से अच्छी तरह से पृष्टि की गई है।

- 7. कि अपीलार्थी और मृतका लीलाबती द्वारा, घटना की तारीख और जब्ती सूची (प्रदर्श.2) के तहत रस्सी की जब्ती से पहले, रात एक साथ बिताई थी।
- 8. यह अपीलार्थी की अच्छी तरह से जानकारी में है और केवल वह लीलावती की मृत्यु के कारण बताये जाने वाली परिस्थितियों की व्याख्या कर सकता था।
- 9. अंतिम, लेकिन महत्वपूर्ण बात, पुलिस के आने से पहले मृतका के शव का जल्दबाजी मे अंतिम संस्कार करने मे अपीलकर्ता का आचरण, जब रिश्तेदार मृतका के शरीर पर चोट के निशान देखने के बाद पुलिस को बुलाने गये थे।

अपीलार्थी के विरुद्ध प्रकट होने वाली ये सभी परिस्थितियाँ निर्विवाद है।

हमारे विचार में अभियोजन पक्ष द्वारा संचयी रूप से ली गई अन्य आपित्तजनक सामग्री के साथ पीडब्लू 2, 3 ओर 4 की गवाही पर भरोसा किया गया, वे लगातार आरोपी के अपराध और उसकी बेगुनाही के बाबत असंगित की ओर इशारा करेगी। अभियोजन पक्ष सभी उचित संदेहों से परे उन परिस्थितियों की शृंखला स्थापित करने में सक्षम रहा है जो लगातार अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करती है। हमारे मत से अभियोजन परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कडियों को पूर्णरूप से उचित संदेह से परे

स्थापित करने में सक्षम रहा है जो लगातार अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करती है।

उपरोक्त कारणों में, हम इस अपील में कोई गुणावगुण नहीं पाते हैं और तदनुसार यह खारिज की जाती है।

अपील खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिये उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारित एवं व्यवहारिक उद्देशयों के लियेउक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।